



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234949
CG-DL-E-07042022-234949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944

No. 99]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022
सं. 02/2015-2020

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट-2E के तहत प्राधिकृत एजेंसी के विवरण में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/01/एम-20/पी.सी. II(बी)/भाग 1/ई-23274.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट-2E के तहत उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने हेतु निम्नलिखित प्राधिकृत एजेंसी के विवरण में संशोधन करते हैं:

परिशिष्ट 2E (केरल राज्य के अंतर्गत) में क्र. सं.	एजेंसी का मौजूदा विवरण	एजेंसी का संशोधित विवरण
3	एर्नाकुलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स पी.बी. नम्बर: 2530, चैम्बर कार्नर, शनमुंघमरोड, कोच्चि-682031 दूरभाष: 0484-380950, 354885,	केरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पी.बी. नम्बर: 2530, चैम्बर कार्नर, शनमुंघम रोड, मरीन ड्राइव, एर्नाकुलम कोच्चि-682031 दूरभाष: 0484-380950, 354885,

फैक्स सं.: 0484-374253 ई-मेल: ekmcos@satyam.net.in	फैक्स सं.: 0484-374253 ई-मेल: infokcci968@gmail.com मो.: 9446416400 / 9495954885
--	--

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 2E के तहत सूचीबद्ध 'एर्नाकुलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स', का इसके संपर्क विवरण के साथ नाम बदल कर चैम्बर के 'केरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' कर दिया गया है।

संतोष कुमार सांरंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th April, 2022

No. 02 /2015-2020

Subject: Amendment in details of an authorized agency under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 – reg.

F. No. 01/93/180/01/AM-20/PC.II(B)/Part.1/E-23274.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes an amendment in details of the following agency authorized to issue Certificate of Origin (Non Preferential) under Appendix 2E of the FTP 2015-2020:

Sl. No. in Appendix 2E (under Kerala State)	Existing details of the agency	Revised details of the agency
3.	Ernakulam Chamber of Commerce, P.B.No.2530, Chamber corner, Shanmugham road, Kochi -682 031 Tel:0484-380950, 354885 Fax: 0484-374253 E-mail: ekmcos@satyam.net.in	Kerala Chamber of Commerce & Industry P.B.No.2530, Chamber corner, Shanmugham Rd, Marine Drive, Ernakulam, Kochi, Kerala - 682031 Tel:0484-380950, 354885 Fax: 0484-374253 E-mail: infokcci968@gmail.com Mob : 9446416400 / 9495954885

2. Effect of this Public Notice:

The name of 'Ernakulam Chamber of Commerce', enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-20, has been amended as 'Kerala Chamber of Commerce & Industry' along with the contact details of the Chamber.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.